



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/E/21/00174

दिनांक: 18 May, 2021

**SHRI YAMIT KUMAR,**  
B-11, Uddhav Apartment, Bhilai, Chhatisgarh, Pin:493441,

**विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।**

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 19 April, 2021 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 मे संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

**श्री बी. अनंत शर्मा**

कार्यपालक निदेशक (सी. एम. जी.) एवं अपील प्राधिकारी  
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: [appellate.cc@powergrid.co.in](mailto:appellate.cc@powergrid.co.in); फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

**भवदीप,**

(जसबीर सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

## **Annexure-I**

### **Information Sought:**

1. Kindly provide the question paper of ACGS- 2019 (Technical – Electrical)?
2. Kindly inform the marks scored by Shri Krishnakumari Kapil Kumbhar, Emp No. 65181 in the said exam?

### **Reply:**

1. ACGS 2019 Written Test was conducted by third party and POWERGRID has no agreement with them for sharing the question paper. Accordingly, the question paper is not available with POWERGRID hence cannot be disclosed.
2. The information sought is fiduciary in nature and pertains to third party. Hence, it cannot be provided under sec 8 (1) (e) & (j) per RTI Act.

-----x-----